न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :- श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 70 / 2023

1 भंवरसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 भंवर कंवर पत्नि स्व. लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी माणकसास जिला झुन्झूनू
2 निर्मल कंवर पुत्री लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम माणकसास जिला झुन्झूनू
3 समदरसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू
4 डालसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू
5 उम्मेदसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू
6 गगनकंवर पत्नि नेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर जिला चूरू
7 किसना कंवर पुत्री नेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नोखड़ा तह.कोलायत बीकानेर
8 प्रकाश कंवर पुत्री नेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नोखड़ा तह.कोलायत बीकानेर
9 मंजू कंवर पुत्री नेमसिंह राजपूत पालास हाल पत्नि श्री भंवरसिंह राजपूत निवासीनी ग्राम जिनरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
10 राजूसिंह पुत्र नेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर जिला चूरू
11 लिला कंवर पुत्री नेमसिंह पत्नि लिछमणसिंह राजपूत निवासीनी जिनरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
12 हवा कंवर पुत्री नेमसिंह पत्नि जितूसिंह राजपूत निवासीनी ग्राम जिनरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
13 किरण कंवर पत्नि नारायणसिंह जाति राजपूत निवासीनी पालास तह. बीदासर चूरू
14 शक्तिसिंह पुत्र नारायणसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता किरण कंवर पत्नि नारायणसिंह जाति राजपूत निवासीनी पालास तह. बीदासर चूरू
15 कोमल कंवर पुत्री नारायणसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता किरण कंवर पत्नि नारायणसिंह जाति राजपूत निवासीनी पालास तह. बीदासर चूरू
16 नन्दू कंवर पुत्री नारायणसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता किरण कंवर पत्नि नारायणसिंह जाति राजपूत निवासीनी पालास तह. बीदासर चूरू
17 किशन कंवर पत्नि गाडसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू
18 सज्जन कंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू
19 संतोश कंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू
20 सरोज कंवर पुत्री अनोपसिंह राजपूत पालास हाल पत्नि मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम पुन्दलसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर
21 ईश्वरसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू
22 मोहन कंवर पत्नि छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू
23 कालूसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू
24 छैलू कंवर पुत्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू
25 तीजू कंवर पुत्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू
26 धापू कंवर पुत्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

27 बुगी कंवर पुत्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालासा तह. बीदासर चूरू
28 मूलसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू
29 अना कंवर पत्नि भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पालास तह. बीदासर चूरू
30 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महो., तहसील कार्यालय बीदासर (चूरू)
31 उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बीदसर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निशेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती हेतू हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :-

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 30 – पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :- 28/11/2024

वाद पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 29 के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खाता नम्बर 83 खसरा नम्बर 117 रकबा 3.9077 हैक्टेयर (15–09बीघा), खसरा नम्बर 156 रकबा 0.5059 हैक्टेयर (2–00बीघा), खसरा नम्बर 159 रकबा 1.3911 हैक्टेयर (05–10बीघा), खसरा नम्बर 165 रकबा 0.0885 हैक्टेयर (0–07बीघा), खसरा नम्बर 166 रकबा 0.9991 हैक्टेयर (03–19बीघा), खसरा नम्बर 173 रकबा 3.1616 हैक्टेयर (12–10बीघा), खसरा नम्बर 52 रकबा 6.0323 हैक्टेयर (23–17बीघा), खसरा नम्बर 56 रकबा 3.2374 हैक्टेयर (12–16बीघा), खसरा नम्बर 94 रकबा 6.1462 हैक्टेयर (24–06बीघा) कुल खसरे 9 कुल रकबा 25.4698 हैक्टेयर (100–14 बीघा) तथा खाता नम्बर 80 खसरा नम्बर 150 रकबा 1.3658 हैक्टेयर (05–08बीघा), खसरा नम्बर 155 रकबा 2.9719 हैक्टेयर (11–15बीघा), खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3414 हैक्टेयर (01–07बीघा), खसरा नम्बर 174 रकबा 0.4679 हैक्टेयर (01–17बीघा), खसरा नम्बर 55 रकबा 6.1715 हैक्टेयर (24–08बीघा), खसरा नम्बर 60 रकबा 1.1129 हैक्टेयर (04–08बीघा) कुल खसरे 6 कुल रकबा 12.4314 हैक्टेयर (49–03बीघा) वाक रोही ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित चला आ रहा है। जिसमें वादी भंवरसिंह का अविभाजित हिस्सा संयुक्त खातेदारी में चल रहा है। उपरोक्त खाते एवं खसराजात की भूमि को आगे दावा में वादगत खेतों के नाम से पुकारा गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 व 29 का खान पान लेन देन सब अलग अलग है तथा वादगत खेतों में भी अपने अपने हिस्सा को भी अलग अलग ही काश्त करते आ रहे है तथा वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 29 के आपसी तौर पर विभाजन मौखिक रूप से किया है। वादी अपने हिस्सा पांती की भूमि को काश्त करता आ रहा है परन्तु वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। जिसके कारण वादी को कई प्रकार की कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 29 सींव को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है जिसके कारण वादी अपने हिस्से पांती व कब्जा काष्त के खेत में अपने हिस्सा भूमि की खातेदारी का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी अधिकारी है। वादी का वादगत खेत में हिस्सा मुताबिक भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादगत खसराजात की भूमि में वादी के हिस्सा पांती की भूमि के पुख्ता पक्की तारबंदी की हुई है जो पूर्व काश्तकर्ता एवं खरीददार विजयसिंह व शम्भूसिंह से खरीद के वक्त से वादी के कब्जा काश्त में है। उपरोक्त वादगत खसराजात में वादी की 26–00 छब्बीस बीघा हिस्सा भूमि है जिसके आसे पासे निम्न प्रकार से है वादी के हिस्सा की 21–00 ईक्कीस बीघा भूमि के आसे पासे–उत्तर हड़मानसिंह, दस्सुसिंह लिछमणसिंह आदि राजपूत, दक्षिण तरफ खेत ईशरसिंह अनोपसिह राजपूत, पूर्वी तरफ खेत श्री मेघदास स्वामी, पश्चिमी तरफ ताल जोहड़ा व खेत गायड़सिंह अजूसिंह राजपूत का है वादी के

लगातार...3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

...ा की 05–00 पॉच बीघा भूमि के आसे पासे उत्तरी तरफ खेत घतरसिंह नोलसिंह देवीसिंह मौका काश्त लछमणसिंह चतरसिंह राजपूत, दक्षिणी तरफ सड़क सारंगसर से तुहारा, पूर्वी तरफ खेत हड़मानसिंह लिछमणसिंह दशरथसिंह राजपूत पश्चिमी तरफ खेत गायड़सिह अजूसिंह मुन्नासिंह पप्पुसिंह राजपूत है। वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 29 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेतों की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 29 वादगत खेत की सींवों को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेतो में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेगें, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 29 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है वादी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 18–07–2023 को निवेदन किया कि वादगत खेतों की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ वादी के कब्जा काश्त में दखत अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 29 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेत का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है जब तब प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 29 सख्या व बल में अधिक होने तथा पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू–माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में वादी असमर्थ है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेतों का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण, दैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हकहिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना वादी को उसके हक हिस्सा की भूमि से जबरन बैदखल करें। वादगत भूमि खसरान् में वाद पत्र की मद सख्या 3 में वर्णित आसे पासे की खातेदारी हिस्सा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी वादगत खसराज में संयुक्त खातेदार एवं सयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को सतत वादाधार प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण द्वारा 18–07–2023 को ऐलानिया धमकी देने व विभाजन करने से साफ इन्कार होने पर वादी को वाद हैतुक प्राप्त है। राजस्व वाद वादी प्रतिवादीगण के मध्य नीजि सम्पति होने एवं राज्य हित के विपरीत न होने एवं राज्य हित निहित न होने से प्रतिवादीगण सख्या 30 राजस्थान सरकार को सी. पी. सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है प्रतिवादी सख्या 30 लैण्ड हौल्डर होने से राजस्व रेकार्ड कार्यवाही करने के अधिकारी होने से व कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखकर पक्षकार संयोजित किया गया है। वादी का वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती का है तथा वादगत खेत वाके रोही पालास तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय को हर प्रकार से प्राप्त है का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की वादगत खेत खाता नम्बर 83 खसरा नम्बर 117 रकबा 3.9077 हैक्टेयर (15–09बीघा), खसरा नम्बर 156 रकबा 0.5059 हैक्टेयर (2–00बीघा), खसरा नम्बर 159 रकबा 1.3911 हैक्टेयर (05–10बीघा), खसरा नम्बर 165 रकबा 0.0885 हैक्टेयर (0–07बीघा), खसरा नम्बर 166 रकबा 0.9991 हैक्टेयर (03–19बीघा), खसरा नम्बर 173 रकबा 3.1616 हैक्टेयर (12–10बीघा), खसरा नम्बर 52 रकबा

लगातार....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

23 हैक्टेयर (23–17बीघा), खसरा नम्बर 56 रकबा 3.2374 हैक्टेयर (12–16बीघा), खसरा नम्बर 94 रकबा 6.1462 हैक्टेयर (24–06बीघा) कुल खसरे 9 कुल रकबा 25.4698 हैक्टेयर (100–14 बीघा) तथा खाता नम्बर 80 खसरा नम्बर 150 रकबा 1.3658 हैक्टेयर (05–08बीघा), खसरा नम्बर 155 रकबा 2.9719 हैक्टेयर (11–15बीघा), खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3414 हैक्टेयर (01–07बीघा), खसरा नम्बर 174 रकबा 0.4679 हैक्टेयर (01–17बीघा), खसरा नम्बर 55 रकबा 6.1715 हैक्टेयर (24–08बीघा), खसरा नम्बर 60 रकबा 1.1129 हैक्टेयर (04–08बीघा) कुल खसरे 6 कुल खसरा नम्बर 56 रकबा 3.2374 हैक्टे छः कुल रकबा 12.4314 हैक्टेयर (49–03बीघा) वाके रोही ग्राम पालास में मुद्द वादी का हिस्सा एवं प्रतिवादीगन का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर मुद्द वादी के हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पृथक पृथक दर्ज की जाकर लगान का विभाजन किया जावे।

उपरोक्त दाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगन को तलब किया गया। प्रकरन में प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर जवाब बन्द किया गया। प्रकरन में प्रतिवादी स. 30 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। उपरोक्त दाद में किसी भी पक्ष द्वारा दाद के तथ्यों से इन्कारी करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्य वादी में वादी मंदरसिंह ने सशपथ बयान प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से दाद को नहीं मानने का कोई कारन पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादी डिकी किये जाने योग्य है जिसको डिकी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

अतः उपरोक्त दाद इस प्रकार प्रारम्भिक डिकी किया जाता है कि वादगत वादगत खेत खाता नम्बर 83 खसरा नम्बर 117 रकबा 3.9077 हैक्टेयर (15–09बीघा), खसरा नम्बर 156 रकबा 0.5059 हैक्टेयर (2–00बीघा), खसरा नम्बर 159 रकबा 1.3911 हैक्टेयर (05–10बीघा), खसरा नम्बर 165 रकबा 0.0885 हैक्टेयर (0–07बीघा), खसरा नम्बर 168 रकबा 0.9991 हैक्टेयर (03–19बीघा), खसरा नम्बर 173 रकबा 3.1616 हैक्टेयर (12–10बीघा), खसरा नम्बर 52 रकबा 6.0323 हैक्टेयर (23–17बीघा), खसरा नम्बर 56 रकबा 3.2374 हैक्टेयर (12–16बीघा), खसरा नम्बर 94 रकबा 6.1462 हैक्टेयर (24–06बीघा) कुल खसरे 9 कुल रकबा 25.4698 हैक्टेयर (100–14 बीघा) तथा खाता नम्बर 80 खसरा नम्बर 150 रकबा 1.3658 हैक्टेयर (05–08बीघा), खसरा नम्बर 155 रकबा 2.9719 हैक्टेयर (11–15बीघा), खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3414 हैक्टेयर (01–07बीघा), खसरा नम्बर 174 रकबा 0.4679 हैक्टेयर (01–17बीघा), खसरा नम्बर 55 रकबा 6.1715 हैक्टेयर (24–08बीघा), खसरा नम्बर 60 रकबा 1.1129 हैक्टेयर (04–08बीघा) कुल खसरे 6 कुल खसरा नम्बर 56 रकबा 3.2374 हैक्टे छः कुल रकबा 12.4314 हैक्टेयर (49–03बीघा) वाके रोही ग्राम पालास का मे वादी के कब्जा काश्त एवं दावा में वर्णित आसे पासे की हिस्सा पांती की भूमि का पृथक तथा प्रतिवादीगण के हिस्सा का मुताबिक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। इस प्रकार प्रारम्भिक डिकी जारी हो। प्रारम्भिक डिकी जारी होकर विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे साथ ही तहसीलदार बीदासर विभाजन किये जा रहे खेत की वर्तमान जमाबन्दी विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 28–11–2024 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

अमीलाल यादव
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
बीदासर (चूरू)

प्रारम्भिक डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix "D-1")

अज अदालत ..श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम......बीदासर जिला चूरू ....व

इजलास..........पीठासीन अधिकारी.......... श्री अमीलाल यादव R.A.S.

भंवरसिंह बनाम भंवर कंवर आदि

दावा बाबत :- विभाजन, चिर निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर..... 73/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ...... हाजरी . श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट मिनजानिब मुदई व .... व पैरोकार राज. ....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि .... वादगत वादगत खेत खाता नम्बर 83 खसरा नम्बर 117 रकबा 3. 9077 हैक्टेयर (15–09बीघा), खसरा नम्बर 156 रकबा 0.5059 हैक्टेयर (2–00बीघा), खसरा नम्बर 159 रकबा 1.3911 हैक्टेयर (05–10बीघा), खसरा नम्बर 165 रकबा 0.0885 हैक्टेयर (0–07बीघा), खसरा नम्बर 166 रकबा 0.9991 हैक्टेयर (03–19बीघा), खसरा नम्बर 173 रकबा 3.1616 हैक्टेयर (12–10बीघा), खसरा नम्बर 52 रकबा 6.0323 हैक्टेयर (23–17बीघा), खसरा नम्बर 56 रकबा 3.2374 हैक्टेयर (12–16बीघा), खसरा नम्बर 94 रकबा 6.1462 हैक्टेयर (24–06बीघा) कुल खसरे 9 कुल रकबा 25.4698 हैक्टेयर (100–14 बीघा) तथा खाता नम्बर 80 खसरा नम्बर 150 रकबा 1.3658 हैक्टेयर (05–08बीघा), खसरा नम्बर 155 रकबा 2. 9719 हैक्टेयर (11–15बीघा), खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3414 हैक्टेयर (01–07बीघा), खसरा नम्बर 174 रकबा 0.4679 हैक्टेयर (01–17बीघा), खसरा नम्बर 55 रकबा 6.1715 हैक्टेयर (24–08बीघा), खसरा नम्बर 60 रकबा 1.1129 हैक्टेयर (04–08बीघा) कुल खसरे 6 कुल खसरा नम्बर 56 रकबा 3.2374 हैक्टे छः कुल रकबा 12.4314 हैक्टेयर (49–03बीघा) वाके रोही ग्राम पालास का मे वादी के कब्जा काश्त एवं दावा में वर्णित आसे पासे की हिस्सा पांती की भूमि का पृथक तथा प्रतिवादीगण के हिस्सा का मुताबिक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। प्रारम्भिक डिकी जारी होकर विभाजन प्रस्ताव हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। साथ ही तहसीलदार बीदासर विभाजन किये जा रहे खेत की वर्तमान जमाबन्दी विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करे।

फीस .... मुबलिग.................................बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसबा मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 11-2024

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकैन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।